Headline: Bank account of TDI mall sealed

टीडीआई मॉल का बैंक खाता सील

संपत्ति कर न भरने पर दक्षिणी दिल्ली निगम ने की कार्रवाई

संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर न भरने के चलते टीडीआई मॉल का बैंक खाता अटैच कर दिया है। जसोला विहार स्थित टीडीआई मॉल पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का डेढ़ करोड़ के लगभग संपत्ति कर बकाया था। दक्षिणी दिल्ली निगम के संपत्ति कर विभाग ने बकाया संपत्ति कर न देने और नोटिस का जवाब न देने के मामले में यह कार्रवाई की है।

डेढ़ करोड़ रुपए बकाया

निगम की ओर से मैसर्स ब्राइटवेज हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड को जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर (टीडीआई मॉल) का संपत्ति कर न भरने के लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे।

मैसर्स ब्राइटवेज हाउसिंग एण्ड लैंड डेवलपमेंट लि. पर संपत्ति कर के रूप में 1 करोड़ 52 लाख 2 हजार 531 रुपए बकाया था। निगम की ओर से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 114 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति कर विभाग की ओर से संबंधित संपत्ति बकायेदार को लगतार कई नोटिस जारी किए गए थे। कई नोटिस जारी होने के बावजूद बकायेदार की ओर से कोई कोई जवाब नही दिया गया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कर निर्धारक एवं समहर्ता बीएन सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा इससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण, मैसर्स हल्दीराम प्रा. लि. तथा अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. का खाता अटैच किए गए थे।

उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से संपत्ति कर न चुकाने वालों के खिलाफ समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी होती रहेगी।

निगम के संपत्ति कर विभाग ने जसोला विहार स्थित टीडीआई मॉल को नोटिस भी भेजा था।